Title: Need for prompt Central Intervention in resolving Inter-State Dispute between Punjab and Haryana w.r.t. water sharing & establishment of High Courts, in context of implementation of Shah Commission Report.

श्री किशन सिंह सांगवान : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था और वर्ष 1966 में हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग होकर एक सूबा बना था। इस बंटवारे में शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक चण्डीगढ़, खरड तहसील और फाजिल्का के गांव हरियाणा को दिए गए थे। अब यह 39 साल पहले की बात हो गयी है, लेकिन आज तक वह फैसला पूरी तरह से लागू नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बंटवारा हुआ, अस्थायी तौर पर चण्डीगढ़ को दोनों प्रान्तों की राजधानी बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट हाईकोर्ट बना दिया गया था। वह फैसला अस्थायी था। लेकिन लगभग 40 साल हो गए हैं और आज तक हरियाणा को न तो अलग से हाईकोर्ट मिला और न ही अलग राजधानी मिली। इस बात से हरियाणा की जनता बहुत दुखी है। हर साल सैकड़ों-करोड़ों रूपए खर्च हो रहे हैं क्योंकि चण्डीगढ़ हरियाणा का हिस्सा है। इसी तरह पानी का मामला - एसवाईएल नहर का मामला अभी भी हल नहीं हुआ है। इराडी ट्रिब्युनल ने यह भी फैसला किया था कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, लेकिन आज तक वह पानी नहीं मिला है। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो अवार्ड दिया था, वह लागू नहीं हुआ और वह पानी जो एसवाईएल नहर से हरियाणा को मिलना था, नहीं मिल सका है। दो प्रदेशों के इस मामले को 40 साल हो गए, आखिर कब यह फैसला होगा और कब दोनों प्रदेशों की जनता को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि तुरन्त दोनों प्रान्तों के मध्य पानी के मामले को हल किया जाए, हरियाणा को अलग हाईकोर्ट दिया जाए और चण्डीगढ़, जो कि हरियाणा का हिस्सा है, को हरियाणा हाईकोर्ट से सम्बन्धित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन महत्वपूर्ण बातों के विय में आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से तुरन्त हस्तक्षेप करने की मांग करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी भी 41 सदस्यों को बोलना है, इसलिए जितना कम से कम समय में संभव हो सके, अपनी बात कहें।